प्रेस विज्ञप्ति

23.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने साइबर अपराध के मुख्य षड्यंत्रकर्ता (मास्टरमाइंड) पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी उर्फ जॉन (मोती नगर, दिल्ली के निवासी), और आशीष कक्कड़ उर्फ पाब्लो (ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के निवासी) द्वारा विभिन्न साइबर अपराधों से अर्जित और शोधन की गई **20.69 करोड़ रुपये** (लगभग) मूल्य की 10 अचल संपत्तियों के रूप में अपराध के आगम (पीओसी) को 17.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

इन संपत्तियों में नई दिल्ली में 9 आवासीय फ्लैट और हरियाणा के रेवाड़ी में कृषि भूमि का एक टुकड़ा शामिल है, जो दीप्ति (पत्नी-पुनीत कुमार), अंकुर (भाई-पुनीत कुमार), प्रशांत (भाई-पुनीत कुमार), आशा कक्कड़ (माता-आशीष कक्कड़) और स्वयं पुनीत कुमार के नाम पर है।

ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी, मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम और निवेश घोटाले जैसे घोटालों में शामिल साइबर क्राइम जालसाजों के खिलाफ पूरे भारत में अनेक प्रथमीकियाँ दर्ज की गई हैं। तदनुक्रम में, ईडी ने जांच शुरू की।

धोखाधड़ी के कुछ सामान्य तरीकों का विवरण नीचे दिया गया है।

- **निवेश धोखाधड़ी:** शेयर बाजार में निवेश के लिए फर्जी ऐप के माध्यम से घोटालेबाज लोगों को उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाते हैं। शुरुआत में, वे विश्वास हासिल करने के लिए ट्रेडिंग खाते में नकली लाभ दिखाते हैं। एक बार आश्वस्त होने के बाद, पीड़ितों को और अधिक रिटर्न का वादा करके बड़ी रकम, प्रायः लाखों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब पीड़ित अपने पैसे वापस मांगते हैं, तो घोटालेबाज कर या प्रक्रिया शुल्कों के रूप में अतिरिक्त भुगतान की मांग करते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक पीड़ित भुगतान करना बंद नहीं कर देते, और तब तक उनका पैसा चोरी हो चुका होता है।
- **पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड** : घोटालेबाज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर पार्ट-टाइम जॉब की पेशकश करते हुए विज्ञापन पोस्ट करते हैं। पीड़ित दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और ₹100 जैसी एक छोटी शुरुआती राशि का भुगतान करते हैं। एक कार्य पूरा करने के बाद, उन्हें विश्वास में लेने के लिए थोड़ी अधिक राशि यथा ₹150 वापस की जाती है। इसके बाद घोटालेबाज और अधिक भुगतान का वादा करते हुए अधिक जमा राशि की मांग करते हैं। हालाँकि, जब पीड़ित अपनी कमाई निकालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें और अधिक कार्य पूरा करने और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि पीड़ित बड़ी रकम जमा नहीं कर देते, प्रायः लाखों में, केवल तब जा कर उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
- **ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी** : घोटालेबाज लोगों को गूगल या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मिलने वाले अत्यधिक सस्ते उत्पादों के ऑफ़र देकर लुभाते हैं। पीड़ितों को व्हाट्सएप पर खरीदारी का लिंक मिलता है, वे पंजीकरण करते हैं और सामग्री के लिए भुगतान करते हैं। इसके बाद सीमा शुल्क या सुपुर्दगी शुल्क जैसे कारणों का हवाला देते हुए अतिरिक्त भुगतान की मांग करते हैं। अंत में, पीड़ित अपना पैसा खो देते हैं और उन्हें कभी भी क्रय की गई सामग्री नहीं प्राप्त होती है।
- **फर्जी लोन ऐप धोखाधड़ी:** फर्जी लोन ऐप लोगों को छोटे ऋण देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज दर वसूलते हैं। भुगतान वसूलने के लिए, ये ऐप उत्पीड़न का सहारा लेते हैं, जिसमें उधारकर्ता के रिश्तेदारों को कॉल करना और प्रथमीकियाँ दर्ज करने की धमकी देना शामिल है। यह दबाव उधारकर्ताओं को मूल ऋण राशि से कहीं ज़्यादा बड़ी रकम चुकाने के लिए मजबूर करता है।

धन शोधन की पद्धति

जांच से पता चला कि ये घोटाले क्युरासाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीपीय देशों में स्थित कंपनियों द्वारा बनाए गए विभिन्न धोखाधड़ी वेबसाइटों और एपों (जैसे मूल upbit.com के बजाय upbitro.com, सट्टेबाजी वेबसाइट www.taj777.com) के माध्यम से संचालित होते थे।

ये विदेशी कंपनियाँ और फ़र्जी ऐप/वेबसाइटें भारत में अनुरक्षित बैंक खातों से जुड़ी हुई हैं ताकि जनता से अपराध के आगम एकत्र किए जा सकें। और फिर लेन-देन और स्रोत को छिपाने के लिए पैसे को चार से पाँच परतों में अनेक बैंक खातों के ज़रिए हस्तांतरित किया जाता था और फिर आयातित वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान के झूठे बहाने से भारत से बाहर भेज दिया जाता था। कंपनियों और फ़र्मों के वे बैंक खाते जिनका इस्तेमाल अपराध के आगम को छिपाने के लिए किया जाता था, आशीष कक्कड़, पुनीत कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

अपराध के आगम को छिपाने के लिए 200 से ज़्यादा कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और उन कंपनियों को आशीष कक्कड़, पुनीत कुमार और उनके सहयोगियों के ऑफिस बॉय, ड्राइवर और स्वीपर कर्मचारियों के नाम पर पंजीकृत किया गया था। उनके हस्ताक्षर दस्तावेजों पर लिए गए और कंपनियों और बैंक खातों को संचालित करने के लिए उनका दुरुपयोग किया गया। इन संस्थाओं को जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया था ताकि संस्थाओं के सभी बैंकिंग लेन-देन पर पूरा नियंत्रण रखा जा सके। इन छद्म निदेशकों के नाम पर पंजीकृत कार्यालय परिसर किराए पर लिए गए थे। ऑनलाइन सत्यापन से पता चला कि किराए के समझौतों के लिए उपयोग में लाए गए स्टाम्प पेपर भी जाली थे।

सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से अपराध के आगम की हेराफेरी

भारत से बाहर अपराध के आगम भेजने के लिए हेराफेरी के उद्देश्य से आशीष कक्कड़ और पुनित माहेश्वरी ने जीएसटी पंजीकरण और एसईजेड अनुमति प्राप्त करके विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) सुविधाओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने दुबई, हांगकांग और चीन आदि से मुंद्रा और कांडला जैसे एसईजेड के माध्यम से रोज़ ऑइल और सौर पैनल मशीनरी जैसे अत्यधिक मूल्य अंकित सामान (5000 गुना अधिक मूल्य अंकित) आयात किए और आयात के एवज में विदेशों में भारी मात्रा में अवैध धन-प्रेषण किया गया। इसके बाद उसी माल को (बिना किसी प्रसंस्करण के) पुनर्निर्यात किया गया लेकिन निर्यात के एवज में कोई धन-प्रेषण प्राप्त नहीं किया गया। इन सर्कुलर लेन-देन में, एक ही माल को आयात किया गया और फिर अनेक बार निर्यात किया गया ताकि विदेश भेजने हेतु अपराध के आगम की हेराफेरी की जा सके। आशीष कक्कड़ और पुनीत माहेश्वरी ने इन सर्कुलर लेनदेन का उपयोग करके साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध के आगम का शोधन करते हुए विदेश भेजने हेतु अंततः **4,978 करोड़ रुपये** की हेराफेरी की।

पुनीत कुमार और आशीष कक्कड़ को क्रमशः 03.04.2024 और 02.03.2024 को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा, 17 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आशीष कक्कड़, पुनीत कुमार और उनके सहयोगियों के परिसरों से लगभग 27.50 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत 19.08 करोड़ रुपये है, 75 लाख रुपये की नकदी, गहने, अपराध-संकेती दस्तावेज़ और अपराध-संकेती डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।